

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पत्र सं०- वि.प्रा. (III) य¹ - 14/ 2011-

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय- विभागान्तर्गत लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा में भारत सरकार के उपक्रम रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से 20 Mbps Leased Line उपलब्ध कराने हेतु रु. 8,00,000=00 (आठ लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा के पत्रांक-145, दिनांक 21.06.2016 के द्वारा की गई मांग के आधार पर संस्थान में भारत सरकार के उपक्रम रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से 20 Mbps Leased Line उपलब्ध कराने हेतु रु. 8,00,000=00 (आठ लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयोजना व्यय आय-व्ययक के "मुख्य शीर्ष-4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-105 -इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0106-अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड- पी 4202021050106 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी राजकीय कोषागार, छपरा से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. विमुक्त राशि का व्यय अधिकतम छः (6) माह में कर अभिश्रव सहित BTC-Form-27(C), एवं 2(C) (1) में अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख कोषागार, छपरा को उपलब्ध कराया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) य¹ - 14/ 2011-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) य¹ - 14/ 2011-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) य¹ - 14/ 2011-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा के पत्रांक-145, दिनांक 21.06.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) य¹ - 14/ 2011-

२३५३/पटना, दिनांक- ८/९/०१६

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

8/9/16